राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	3610/2022	श्याम लाल सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला भरतपुर।	श्री गिरीराज राजोरिया
2.	03/2024	हितेन्द्र कुमार वर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, सिरोही। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाड़कलां, पिण्डवाडा, जिला सिरोही।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
3.	15/2024	नवाब लाल मीणा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, सिरोही। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरस, पिण्डवाडा, जिला सिरोही।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
4.	21/2024	राजबहादुर	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, गंगापुर सिटी। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा गद्दी, वजीरपुर, जिला गंगापुर सिटी।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
5.	193/2024	रामदयाल सिंघल	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, सवाईमाधोपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, गंगापुर सिटी। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वजीरपुर, जिला गंगापुर सिटी।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
6.	272/2024	हमीद खां	1. अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान–सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर। 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जिला शाहपुरा। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, भीलवाडा। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जहाजपुर, जिला शाहपुरा।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
7.	273/2024	दशरथ सिंह कानावत	1. अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान–सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक, जिला शाहपुरा। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, भीलवाडा।	श्री उम्मेद सिंह तंवर

8.	1323 / 2024	सीताराम गोंधा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अजमेर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नान्दला, अजमेर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
9.	1455 / 2024	ओमप्रकाश पंवार	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, अजमेर। 4. पीईईओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, न्यारा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर
10.	186 / 2023	नाथूराम गोयल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला हनुमानगढ।	श्री गिरीराज राजोरिया
11.	1440 / 2023	सज्जाद हुसैन खान	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला झुन्झुनू। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग, राजस्थान जयपुर।	श्री सलीम खान

आदेश की दिनांक : 22.04.2024

उपस्थित –

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल एवं श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 3310 / 2022 श्याम लाल सैनी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील संख्या 3610 / 2022 में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के

पद पर आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.07.2013 से पे–स्केल 9300–34800 पर ग्रेड–पे 4800 दिया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को वेतन स्थिरीकरण संशोधित किया गया और अपीलार्थी की ग्रेड–पे 3200 रखी गई। इसके साथ ही अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने के आदेश पारित किये गए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर था, जिसे अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर समायोजित किया गया और अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के वेतन के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, जिसे बाद में संशोधित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अध्यापक ग्रेड–तृतीय का पे–ग्रेड 3600 है, उन्हें 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 के अनुसार पे–ग्रेड क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी का पे–ग्रेड संशोधित नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पे–स्केल के अनुसार लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। उक्त अध्यापकों को 9–18–27 वर्षीय एसीपी में प्रथम नियुक्ति पद (प्रयोगशाला सहायक पद) की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800 /– के आधार पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.14 (88) एफ.डी रूल्स /20081 दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या–7 (ii) के अन्तर्गत का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य सरकार (Regular service for grant of benefits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade on the regular basis on the direct recruitment.) के आदेश क्रमांक प. 14(88)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद के ग्रेड पे के आधार पर ही चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। अतः उपरोक्त नियमानुसार अपीलार्थी की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर 9,18 व 27 वर्ष पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये एसीपी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्ष पर

चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड–पे 4800 रूपये ही देय है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एत अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे कमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी में समायोजित किये गये हैं। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण की हस्तगत सभी 11 अपीले स्वीकार की जाती हैं। यह आदेश दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें इस आदेश के प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याह्रत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त निर्देशों की पालना प्रत्यर्थी विभाग आदेश की प्रति प्रस्तुत करने दो तीन माह की अवधि में करे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, सम्बन्धित अपीलार्थीगण से वसूल की गई राशि/वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे।

मूल आदेश अपील संख्या 3610/2022 श्याम लाल सैनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शिक्षा सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक प्रति संलग्न की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)